राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः–प.2(5018)डी.ओ.आईटी./संस्था/14/I/78157/2017 जयपुर, दिनांक 28-12-17

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री यशवंत सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डौन सिटी, जिला करौली को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित एम.ए. (अर्थशास्त्र) एवं जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ओयाजित M.C.A. के पाठयक्रम की परीक्षाओं में (स्वयंपाठी/पत्राचार माध्यम से) सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नही है।

उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति श्री यशवंत सिंह, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृती दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नही किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर – मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृती नहीं मानी जावेगी।
11. पत्राचार/स्वंयपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षो की परीक्षा के लिये पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नही है।

—sd—
(आशुतोष एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
2. श्री यशवंत सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डौन।
3. प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन : 0141–22224855, 2222439, फैक्स : 0141–2223010, वैबसाईट – www.doitc.rajasthan.gov.in